आज्ञा विस्तृत रूप से

पेश हुई। पी0ओ0 साहब
य कार्य में व्यस्त है। अत
पूर्वानुसार दिनांक 1/1/25
हों।

साहब
है। अत
नांक 1/1/25

पेश हुई। पी0ओ0 साहब
कार्य में व्यस्त हैं। अ
पूर्वानुसार दिनांक 30/1/25
हों।

पेशकारी/वकील उपस्थ
की धा. 346 की कार्रवा
नहीं। अग्रिम धा. 348
किया जाता है। पत्रावली
दिनांक 13-2-25 को पेशी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पेश हुई। वकील उपस्थ
को 26/2/25 को पेश हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

पेश हुई। पी0ओ0
व्यस्त है, अतः
नांक 6/2/25
हों।

पेश हुई। पी0ओ0 साहब
~~ज्य कार्य में व्यस्त है। अतः~~
पूर्वानुसार दिनांक 21/2/25
हों।

फर्द कारवाई

कोर्ट श्री धनाम अधिकारी

थाना BDO II सांगानेर

दिनांक 21/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/2/25	पेशकारी पेश हुई। वकील उपस्थित। वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थना आवेदन की धारा 346 की कार्रवाई किये जाने, साथ लिये गये पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी का प्रार्थना आवेदन निरस्त किये जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किये। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना आवेदन निरस्त किये जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब किये जाने से निराकरण होना सुनिश्चित किये पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली में यह भी संलग्न है कि वकील द्वारा अग्रिम मुकदमा के लाभ संलग्न है। सुनाई गई।	

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 81 / 2022
निर्णय दिनांक : 02.04.2025

उनवान

1. भौरी देवी पत्नी स्व0 पांचूराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल, भू–अभिलेख निरिक्षक वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. अविनाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. कमला देवी पत्नी प्रभूदयाल
3. कमला देवी पत्नी सीताराम
4. कमली देवी पत्नी श्रवण लाल
5. कल्ली देवी पत्नी प्रभूलाल
6. कैलाशी देवी पुत्री कानाराम
7. केशर देवी पुत्री कानाराम
8. छाजूराम पुत्र कानाराम
9. छोटू पुत्र कानाराम
10. धन्नी देवी पत्नी कानाराम
11. भूली देवी पुत्री कानाराम
12. भागा देवी पत्नी कानाराम
13. मदन लाल पुत्र कानाराम
14. रामफूल पुत्र कानाराम
15. संतोष पुत्री कानाराम
16. छोटी देवी पत्नी भोमाराम
17. तुलसी देवी पत्नी बोदूराम
18. नृसिंहलाल पुत्र रामगोपाल
19. पप्पूलाल पुत्र विरधीचन्द
20. भुली देवी पत्नी शंकरलाल
21. भागीरथ पत्नी कैलाश चन्द
22. मुकेश पुत्र रामगोपाल
23. मनीष पुत्र लक्ष्मीनारायण
24. मूलचन्द पुत्र हरवक्श

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

25. रेखा पत्नी रामजीलाल
26. लाली पत्नी मांगीलाल
27. शान्ति देवी पत्नी सम्पत लाल
28. शान्ति देवी पत्नी भौरीलाल

समस्त जातियान मीणा, निवासीयान ग्राम श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल, भू–अभिलेख निरिक्षक वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

29. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
30. उप–पंजीयक प्रथम, नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

वाद संख्या : 04 / 2024

निर्णय दिनांक : 02.04.2025

1. कमला देवी पत्नी श्री सीताराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिया

बनाम

1. कल्ली देवी पत्नी प्रभूलाल
2. कमला देवी पत्नी प्रभूदयाल
3. कमली देवी पत्नी श्रवण लाल
4. अविनाश पुत्र लक्ष्मीनारायण
5. कैलाशी देवी पुत्री कानाराम
6. केशर देवी पुत्री कानाराम
7. छाजूराम पुत्र कानाराम
8. छोटू पुत्र कानाराम
9. छोटी देवी पत्नी भोमाराम
10. तुलसी देवी पत्नी बोदूराम
11. धन्नी देवी पत्नी कानाराम
12. नृसिंहलाल पुत्र रामगोपाल
13. पप्पूलाल पुत्र बिरधीचन्द
14. भूली देवी पुत्री कानाराम
15. भुली देवी पत्नी शंकरलाल
16. भागा देवी पत्नी कानाराम

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

17. भागीरथ पत्नी कैलाश चन्द
18. भौरी देवी पत्नी स्व0 पांचूराम मीणा
19. मुकेश पुत्र रामगोपाल
20. मदन लाल पुत्र कानाराम
21. मनीष पुत्र लक्ष्मीनारायण
22. रेखा पत्नी रामजीलाल
23. रामफूल पुत्र कानाराम
24. लाली पत्नी मांगीलाल
25. शान्ति देवी पत्नी सम्पत लाल
26. शान्ति देवी पत्नी भौरीलाल
27. संतोष पुत्री कानाराम
28. कानाराम पुत्र हरबक्श
29. मूलचन्द पुत्र हरबक्श

समस्त जातियान मीणा, निवासीयान ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

30. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
31. उप–पंजीयक प्रथम, नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ तथ्यो पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0. 04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140/177 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 381 रकबा

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल खसरा किता 21 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर ग्राम श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का अविभाजित हिस्सा 10/99 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 23 एवं अप्रार्थी संख्या 25 लगायत 28 का पृथक-पृथक हिस्सा वर्तमान भू-राजस्व अभिलेखो जमाबन्दी में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सॉगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 386 रकबा 0.09 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 व अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 के हकपुर्वाधिकारी कानाराम पुत्र हरबक्स एंव अप्रार्थी संख्या 24 मुलचन्द पुत्र हरबक्स की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमें प्रार्थी का अविभाजित हिस्सा 1/25 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 का पृथक-पृथक हिस्सा निहित होकर वर्तमान भू-राजस्व अभिलेखो जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजीयात् के तत्कालीन खातेदार काश्तकार रामचन्द्र पुत्र हरबक्श ने प्रार्थी के अत्यन्त स्नेह एंव प्रेम से पूरित होकर उक्त वर्णित आराजीयात् में अपने नाम दर्ज सम्पुर्ण अविभाजित हिस्से को प्रार्थी के हक में दिनांक 28.01.2019 को निष्पादित व कार्यालय उप-पंजीयक सॉगानेर प्रथम में पंजीकृत उपहार-पत्र द्वारा हस्तांतरित कर दिया। उक्त पंजीकृत उपहार पत्र के द्वारा प्रार्थी को प्राप्त हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार तत्समय ही भू-राजस्व अभिलेखो में दर्ज होकर वर्तमान भू-अभिलेखों में चला आ रहा है तथा प्रार्थी उक्तानुसार प्राप्त अविभाजित हिस्सा कृषि भुमि पर निर्वाध रूप से मनवट के अनुसार काबिज काश्त कर उपयोग-उपभोग करती चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भुमि है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या । लगायत 28 अपने-अपने दर्ज हिस्से अनुसार मनवट के अनुसार काविज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजीयात् का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 के मध्य मिटस् एण्ड बाउण्डस् के अनुसार विधिवत् विभाजन नही होने के कारण उक्त आराजीयात् में पक्षकारो के मध्य कम-ज्यादा हिस्से का उपयोग-उपभोग करने, किसी प्रकार का विभाजन करवाए विना पुख्ता पक्का निर्माण करने, आदी के सम्बन्ध में विवाद दिन-प्रतिदिन होते रहते है। कुछ समय पूर्व ही अप्रार्थीगण द्वारा एकराय होकर मुख्य वाटीका रोड के लगवा कृषि आराजीयात् पर दुकानो का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया। जिसकी प्रार्थी को आस-पास के व्यक्तियो द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा कि विना तकासमें के कोई भी पक्षकार पुख्ता पक्का निर्माण नही करवाऐगा तो अप्रार्थी संख्या 19 ने प्रार्थी को कहा कि वह किसी प्रकार के तकासमे की कोई कार्यवाही नही करेगा तथा विना किसी विधिवत् विभाजन के अपनी ताकत व पहुँच के आधार पर पक्की दुकानो का निर्माण करवाकर दीगर व्यक्तियान् को बैचान करके रहेगा। उक्त अप्रार्थी की इस धमकी का अन्य अप्रार्थीगण ने कोई विरोध नही किया उल्टा प्रार्थी को ही उक्त निर्माण के सम्बन्ध में सहमति प्रकट करने के लिए दवाव बनाने लगे। इसी अनुक्रम में अप्रार्थी संख्या 16 द्वारा उक्त अविभाजित भूमि पर

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

मकान का पुख्ता निर्माण करवाया जा रहा है। अप्रार्थीगण की उक्त कार्यवाही से प्रार्थी को प्रबल संम्भावना हो गई है कि अप्रार्थीगण उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि का बिना कोई विभाजन करवाए पुख्ता निर्माण कर दीगर व्यक्तियान् को अच्छे दामो में बैचान करेंगे। अभी हाल ही में दिनांक 20.04.2022 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करवाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम करवाने के लिए आग्रह किया तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया तथा कहा कि वे किसी प्रकार से तकासमा नही करवाऐगे तथा उक्त कृषि आराजीयात् को अपने–अपने दर्ज हिस्से के आधार पर किसी गृह निर्माण सहकारी समिति, कम्पनी या दीगर व्यक्ति, संस्था को विक्रय कर जबरन कब्जा सम्भलॉकर आवासीय कॉलोनी, व्यवसायिक दुकाने विकसित करेगें इसके लिए उन्हे किसी प्रकार से तकासमे की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी एक उम्रदराज वृद्ध महिला होने के कारण अप्रार्थीगण की उक्त अवैधानिक कार्यवाही का पुरजोर विरोध करने में असमर्थ है। अप्रार्थीगण की उक्त साफ इन्कारी व धमकियों के पश्चात् प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय में उक्त उनवानी वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपचार शेष नही रहा है। प्रार्थी अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 के मध्य वर्तमान भू–राजस्व अभिलेखो/जमावन्दी में दर्ज हिस्से की कृषि आरजीयात् का माननीय न्यायालय से मिट्स व बाउण्डस् के अनुसार विधिवत् विभाजन करवाकर पृथक–पृथक लगान व खाता करवाए तथा प्रार्थी यह भी अधिकारी है कि उक्त विभाजन से प्राप्त भूमि का विभाजनानुसार कब्जा प्रार्थी प्राप्त करें। उक्त विभाजनोपरान्त प्रार्थी के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 अववाधा कारित कर सकते है. जिसके लिये प्रार्थी अधिकारी है कि वह अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करवाये कि वे पृथक–पृथक खाता कायम होने के पश्चात् प्रार्थी के हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की अवबाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा प्रार्थी को उसके हिस्से में प्राप्त भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात् के मुख्य वाटिका रोड पर स्थित बिना विभाजन करवाये दुकानो के निर्माण प्रारम्भ करने, अप्रार्थी संख्या 16 द्वारा मकान का निर्माण करवाए जाने व अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.04.2022 को प्रार्थी को उक्त आराजीयात् का कोई विभाजन नही करवाने, वर्तमान राजस्व जमावंदी में अंकित अविभाजित हिस्से को किसी गृह निर्माण सहकारी समिति, कम्पनी या दीगर व्यक्ति, संस्था को विक्रय कर जबरन कब्जा सम्भलों कर अचला कॉलोनी विकास करने की खतरनाक खतरे जाने से प्रार्थी को उक्ति उनवाणी वादपत्र वावत् तकसामा व स्थायी निषेध मय प्रार्थना पत्र आस्था निषेध अप्रतिबंधित प्रस्तुतिकरण का वाद कारण उत्पन्न होता है। अप्रार्थी संख्या 29 लैण्ड होल्डर होने से तथा अप्रार्थी संख्या 30 अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण प्रलेख पंजीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होने के कारण प्रार्थना पत्र में प्रारूपिक पक्षकार अप्रार्थी संयोजित किये गये है। विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 व 3 में किया गया है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 मनवट के अनुसार अपने–अपने दर्ज हिस्से पर काबिज–काश्त है।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जिसका आज तक मिटस् एंव बाउण्डरस् के अनुसार विधिवत् विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी अपने दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजीयात् का विभाजन करवाने का अधिकारी है। इस कारण प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तथा उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण कर दिया गया अथवा अकृषि कार्य करते हुए उक्त आराजीयात् के विशिष्ट भाग पर पुख्ता निर्माण कर लिया जाता है तो प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती है। इसलिये अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी पूर्ण रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि वे विवादग्रस्त भूमि, जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 व 3 में किया गया है. के सम्बन्ध में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नही करे और वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण, रहन, विक्रय, दान, इकरारनामा इत्यादि निष्पादित नहीं करे तथा विवादग्रस्त आराजीयात् को अकृषि कार्य में उपयोग में न लेवे एंव उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें। अप्रार्थी संख्या 29 वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 30 वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित किसी भी प्रलेख/दस्तावेज का पंजीयन नही करे। अन्य कोई अनुतोष जो भी प्रार्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय उचित व आवश्यक समझे प्रदान फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रकरण में केवियट प्रार्थना पत्र होने से केवियटकर्ता के नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 29.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1, 9, 23 की ओर से श्री मंयक कूलवाल एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 20.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 04.01.2023 की ओर से प्रार्थी की ओर से श्री खेमचन्द कुमावत एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 17 से 20 की ओर श्री जितेन्द्र मीणा एडवोकेट ने अण्डरटेंकिग दी। दिनांक 04.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 2, 27 की ओर से श्री अरूण गोयल एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 19 की ओर से श्री कैलाश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 12.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री जगदीश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 02.05.2024 को वकील व प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 8, 10, 18 लगायत 20, 23, 27 उप0। अप्रार्थी संख्या 4 से 7, 9 से 15, 17, 21, 22, 24 से 26, 28, 30 वावजूद रजि0 डॉक सूचना अनुपस्थित। दिनांक 02.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 4 से 7, 9 से 15, 17, 21, 22, 24 से 26, 28, 30 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। दिनोंक 02.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 व 27 की ओर से जवाव दावा पेश किया। दिनांक 30.01.2025 की ओर से अप्रार्थी संख्या 3 व 8 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र पेश नही होने जवाव वन्द किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 19.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 व 27 की ओर से एक प्रार्थना पत्र उक्त वाद के साथ अन्य विचाराधीन वाद संख्या 04/2024 उनवान कमला देवी वनाम कल्ली देवी वगै. को एक ही विचारण कर निर्णित

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

करने का पेश किया। दिनांक 27.09.2024 को कन्सोलिटेड प्रार्थना पत्र पर बहस सूनी गई दोनो प्रार्थना पत्र/ वाद एक समान प्रकृति के है जिसमें वादग्रस्त भूमि, पक्षकारान एवं चाहा गया अनुतोष समान है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 व 27 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 04/2024 उनवान कमला देवी बनाम कल्ली देवी वगै. को उक्त वाद के साथ कन्सोलिटेड किये जाने के आदेश दिये गये।

बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, 8, 10, 18 लगायत 20, 23, 27 सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि वे विवादग्रस्त भूमि, जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 व 3 में किया गया है, के सम्बन्ध में प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नही करे और वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से हस्तान्तरण, रहन, विक्रय, दान, इकरारनामा इत्यादि निष्पादित नहीं करे तथा विवादग्रस्त आराजीयात् को अकृषि कार्य में उपयोग में न लेवे एंव उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें। अप्रार्थी संख्या 29 वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 30 वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित किसी भी प्रलेख/दस्तावेज का पंजीयन नही करे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय हैः– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी संख्या एक लगायत तीन द्वारा कोई खण्डन नही किया गया कि जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार माना है और उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 02.01.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

की पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम श्रीरामकीनांगल, पटवार हल्का श्रीरामकीनांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 48 के खसरा नम्बर 110 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.2100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 136 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.2700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 140 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140/177 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 143 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 148 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 385 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 21 कुल रकबा 2.9700 हैक्टेयर तथा हाल खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 386 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0900 हैक्टेयर की भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा के आधार पर में विधिक करवाये बिना, उक्त वादग्रस्त आराजीयात कि किसी भी भू भाग को किसी भी प्रकार से बैचान –हस्तान्तरण अनूबन्ध, बख्शीश, बीसयत, रहन, मोरगेज आदी ना करे।प्राथी के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट ना करे। विशिष्ठ भू–भाग पर कच्चा–पक्का निर्माण करे ना किसी अन्य से करावे। वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)
जयपुर।